जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
155/20

A3

अपील सूचना अधि. सं0 155/2016 अनवानी श्री इन्द्र सिंह पुत्र जेठा सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर वार्ड न03, चक 20 एफ.टी.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ बनाम तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़

25.10.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री इन्द्र सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्रकुमार आर.आई. निरवाना उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ का प्रतिवेदन सं0 6698 दिनांक 25.10.16 का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ से प्रा0 पत्र दिनांक 22.08.2016 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलबध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिये जावे और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे एवं जुर्माना राशि दिलवाई जावे।

इसके विपरीत तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा राज0 उपनिवेशन (राज0 नहर परियोजना राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1967 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद अनुसार आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई है इस संबंध में अपीलार्थी को पत्र 6216 दिनांक 20.09.16 से सूचित कर दिया गया था कि प्रस्तुत रसीद उनके कार्यालय द्वारा जारी नही की गई है और न पत्रावली उनके कार्यालय में उपलब्ध है। अभिलेख की अनुपलब्धता एवं क्षेत्रातीत के कारण सही रूप से अपीलार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री इन्द्र सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22..08.2016 के द्वारा तहसीलदार एवं लोक सूचना अधिकारी, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी:-

> प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (राज0 नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विकय) नियू 1967 के नियम 12(1) के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे पंजिकृत किया गया। जिसकी रसीद प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की जा रही है प्रार्थी को आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिप मुहैया करवाने की सूचना

उक्त सूचनांओ के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के प्रतिवेदन सं0 भू.अ./सू. का.अ./2016/6698 दिनांक 25.10.16 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के सलंग्न प्रा0 पत्र की प्राप्ति सूचना रसीद के बारे सूचना चाही गयी है जो तहसीलदार उपनिवेशन, राज0 नहर योजना नोरंगदेसर मुकाम हनुमानगढ द्वारा जारी की गयी है जिसका उनके कार्यालय से संबंध नही है। इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

कलेक्टर
गंगानगर

 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 155/2016

A3/2

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने पत्र सं0 भू.अ./सू.का.अ./2016/6216 दिनांक 20.09.16 द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

> आप द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राज0 नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1967 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद अनुसार आवंटन पत्रावली चाही है। प्रस्तुत रसीद कार्यालय द्वारा जारी नही की गई है और ना ही पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध है। अतः अभिलेख की अनुपलब्धता एवं क्षेत्रातीत होने के कारण आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र की प्राप्ति सूचना की जिस रसीद की प्रति प्रस्तुत कर राजस्थान उपनिवेशन (राज0 नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1967 के नियम 12(1) के अन्तर्गत भूमि आवंटन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र से संबंधित आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई है वह रसीद तहसीलदार, सूरतगढ कार्यालय से जारी न होकर बल्कि तहसीलदार उपनिवेशन, राजस्थान नहर योजना नौरंगदेसर मु0 हनुमानगढ के कार्यालय से जारी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का संबंध तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ से न होकर बल्कि तहसीलदार उपनिवेशन, राजस्थान नहर योजना नौरंगदेसर मु0 हनुमानगढ से है। इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा दिया गया उत्तर दिनांक 20.09.2016 उचित है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। 1872-73 / 3/11/16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर